फर्द अहकाम

राहुल मीणा बनाम कमला व अन्य

पत्र संख्या 333 / 2024

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बहस प्रार्थी प्रार्थना पत्र में सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि खसरा न0 478/419 रकबा 0.55 है० वाके ग्राम टोडी रमजानीपुरा पटवार हल्का जगतपुरा भू. अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर का अप्रार्थी सख्या दो से सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के अनुसार पुलिस हिमदाद से पत्थरगढी किये जाने के आदेश अप्रार्थी सख्या दो को फरमाने की कृपा करे। बहस प्रार्थी अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी तहसीलदार सांगानेर को सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र पेश करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की ओर से पेश सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र के आधार पर वाके ग्राम टोडी रमजानीपुरा पटवार हल्का जगतपुरा भू. अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि खसरा न0 478/419 रकबा 0.55 है० की सीमाज्ञान कर, उक्त सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी कायम की जावें। आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद की सहायता ली जावे। निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हिम्मत सिंह) उपखण्ड अधिकारी जयपुर–द्वितीय (सांगानेर) जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.30 15:43:14 IST
Reason: SelfAttested